2025/974

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

जगदीश प्रसाद बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 524 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा - पत्र |
|---|---|
| 14/11/25 | प्रार्थी जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू राम जाति जाट निवासी ग्राम तासर छोटी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम ताजसर करणावतान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 306 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि जगदीश पुत्र नाथूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू राम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि जगदीश पुत्र नाथूराम के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू राम दुरूस्त किया जावें।<br><br>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3851 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट्स मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट्स मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।<br><br>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट्स के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ताजसर करणावतान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 306 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि जगदीश पुत्र नाथूराम के स्थान पर जगदीश प्रसाद पुत्र नाथू राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3851 दिनांक 14.11.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट्स आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।<br><br>आदेश सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra<br>Date: 2025.11.19 12:52:59 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>धोद जिला सीकर |

उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner